

परिशिष्ट

(देखिये नियम-6)

फार्म 'क'

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1- परियोजना विवरण:-

(i) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना स्कीम का संक्षिप्त विवरण। -

सुनालडी से जेपहाड़ी मोटर
मार्ग निर्माण, हस्तील - बड़कोट
जिला - उत्तरकाशी,

(ii) 1.50.000 स्केल पर वन भूमि और उसके आस पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप

- संलग्न हैं,

(iii) परियोजना की लागत

- 258.86 लाख

(iv) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य

- यातायात की सुविधा

(v) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)

- लागू नहीं,

(vi) रोजगार जिसके पैदा होने की सम्भावना है।

- 68800 मानव दिवस

2- कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार यदि कोई है। - नहीं

- सृजित होंगे,

3- परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई हो।

(i) परियोजना की संख्या

- शिफ्ट

(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या

- शिफ्ट

(iii) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

- शिफ्ट

4- क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है (हाँ/नहीं)

- नहीं

5- प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र में पुनः वनीकरण की बचनबद्धता संलग्न की जाए

- संलग्न हैं

6- निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा - संलग्न हैं

अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट

हस्ताक्षर (2002021212)

(नाम स्पष्ट अक्षरों में)

पदनाम

प्रयोक्ता एजेंसी

तिथि - 6-5-10

स्थान - बड़कोट

प्रस्ताव की राज्य क्रम

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा।)

26